



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

अधिसूचना

एतद्वारा जिला जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक-1094/अ0सं0क0/भा0स0छा0वृ0/2020-21 दिनांक-21.10.2020 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भूवदीय

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 421 /सूचना/2020

दिनांक- 22 / 10 / 2020

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक महोदय- अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेस विज्ञप्ति

उप सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्य 15/19/2020-एस0एस0 (पार्ट-2) दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिटि-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं में राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल पर रिनीवल (Renewal) आवेदन हेतु 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता का 2020-21 के लिए समाप्त कर दी गयी है।

अतः समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं व प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिटि-कम-मीन्स छात्रवृत्ति हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(एजाजुल हक खान)

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांक: | 094/अ0सं0क0/भा0स0छा0वृ0/2020-21

दिनांक 21 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक महोदय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुल सचिव महोदय, सिद्धार्थ विश्व विद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से सभी संबंधित शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से सभी शिक्षण संस्थाओं को संसूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करायें।
6. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति समस्त समाचार-पत्रों (हिन्दी/उर्दू) में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, समस्त सम्बन्धित शिक्षण संस्थाये, जनपद-सिद्धार्थनगर।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय/विकास भवन/कलेक्ट्रेट आदि पर चस्पा हेतु।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।